Act No. 29 of 2013

2013 का विधेयक संख्यांक 11

मानव भारती विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) संशोधन विधेयक, 2013

(विधान सभा द्वारा यथा संशोधित पारित)

मानव भारती विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) संशोधन विधेयक, 2013

खण्डों का क्रम

खण्ड :

- संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ।
- 2. धारा 41 का संशोधन ।

मानव भारती विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) संशोधन - विधेयक, 2013

(विधान सभा द्वारा यथा संशोधित पारित)

मानव भारती विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) अधिनियम, 2009 (2009 का अधिनियम संख्यांक 22) का और संशोधन करने के लिए विधेयक।

भारत गणराज्य के चौंसठवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रुप में यह अधिनियमित हो:—

- 1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मानव भारती विश्वविद्यालय संक्षिप्त नाम (स्थापना और विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2013 है ।
 - (2) यह 4 नवम्बर, 2009 को प्रवृत्त हुआ समझा जाएगा।
- 2. मानव भारती विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) अधिनियम, ^{धारा 41 का} संशोधन । 2009 का 22 2009 की धारा 41 की उपधारा (2) के परन्तुक में ''पच्चीस वर्ष'' शब्दों के स्थान पर ''पचास वर्ष'' शब्द रखे जाएंगे ।

यह विधेयक विधान सभा द्वारा पारित किया गया है ।

& statell min 52m

हिमाचल प्रदेश 📐 विधान सभा, शिमला

शिमला-171004. शिमला: 30-4-2013

मैं इत विधेयक पर अनुमति देती हूं

प्रस्ववस्ता।

हिमाचल प्रदेग

शिमला-171002.

शिमलाः २४ - 2013

AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT

BILL NO. 11 OF 2013

THE MANAV BHARTI UNIVERSITY (ESTABLISHMENT AND REGULATION) AMENDMENT BILL, 2013

(Passed as Amended by the Legislative Assembly)

THE MANAV BHARTI UNIVERSITY (ESTABLISHMENT AND REGULATION) AMENDMENT BILL, 2013

ARRANGEMENT OF CLAUSES

Clauses:

- 1. Short title and commencement.
- 2. Amendment of section 41.

THE MANAY BHARTI UNIVERSITY (ESTABLISHMENT AND REGULATION) AMENDMENT BILL, 2013

(PASSED AS AMENDED BY THE LEGISLATIVE ASSEMBLY)

Α

BILL

further to amend the Manav Bharti University (Establishment and Regulation) Act, 2009 (Act No. 22 of 2009).

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Sixty-fourth Year of the Republic of India as follows:-

(1) This Act may be called the Manav Bharti University Short title 1. and (Establishment and Regulation) Amendment Act, 2013.

commencement.

- (2) It shall be deemed to have come into force on 4th day of November, 2009.
- In section 41 of the Manav Bharti University (Establishment Amendment 2. 22 of 2009 and Regulation) Act, 2009, in sub-section (2), in the proviso, for the words of section 41. "twenty five years", the words "fifty years" shall be substituted.

में, "मानव भारती विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) संशोधन विधेयक, 2013 (2013 का विधेयक संख्याक 11)" के उपर्युक्त अनुवाद को भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अधीन राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किए जाने के लिए प्राधिकृत करती हूँ।

उग्ने दार्स्य राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश ग

राज्यपाल ने "मानव भारती विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) संशोधन विधेयक, 2013 (2013 का विधेयक संख्याक 11)" के उपर्युक्त अनुवाद को भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अधीन राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किए जाने के लिए प्राधिकृत कर दिया है।

चिराग मान शिंह सचिव (विधि), हिमाचल प्रदेश सरकार।